IV- 30/16

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 562356

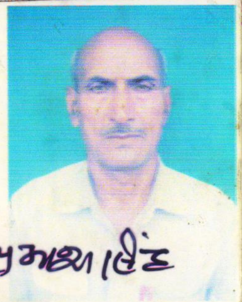

जयप्रकाश सिंह

1

## न्यास विलेख(Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 26,07,2016 ई0 को जयप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 नन्हकू सिंह निवासी ग्राम देईपुर, परगना कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी (उ0 प्र0) द्वारा घोषित किया गया है–

चूँकि हम भारत के सजग नागरिक हैं और तन, मन, धन से देश के सामाजिक आर्थिक धार्मिक एंव शैक्षणिक कार्य हेतू अपना योगदान करना चाहते हैं, इस वजह से हमने निश्चय किया कि प्रेम प्रकाश चैरिटेबुल ट्रस्ट के नाम से एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाय तथा हम मुकिर ने तय किया कि उक्त ट्रस्ट की निम्नांकित विशिष्टियॉ होंगी तथा वर्तमान में ट्रस्ट की कोई अचल सम्पत्ति न होने के कारण इसका नकद कोष मु0 10,000/– (दस हजार) रूपये रखा गया है, और इसकी अर्न्तवस्तुए निम्नलिखित है –

न्यास का नाम–प्रेम प्रकाश चैरिटेबुल ट्रस्ट ।

न्यास का पंजिकृत पता–ग्राम व पोस्ट–देईपुर, थाना जन्सा, जिला वाराणसी ।

न्यास का कार्य क्षेत्र–सम्पूर्ण भारत

जयप्रकाश सिंह

2741
25.07.16

1001- ओमप्रकाश सिंह सा० देइपुर वाराणसी

आकाश केशरी

आकाश केशरी स्टाम्प विक्रेता
उप निबन्धक कार्यालय
गंगापुर-वाराणसी
लाईसेन्स नं०-458 15/16

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer VARANASI 15 JUL 2016 मुख्य कोषाधिकारी वाराणसी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 562357



## ट्रस्ट के प्रबन्धन एवं संचालन बोर्ड का गठन–

अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस ट्रस्ट के आजीवन स्थायी ट्रस्टी निष्पादक उपरोक्त जय प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 नन्हकू सिंह निवासी मौजा देईपुर, थाना जन्सा, जिला वाराणसी रहेंगे जिन्हे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर पदवी से जाना व माना जायेगा तथा ट्रस्ट के सम्यक प्रबन्धन व संचालन हेतू बोर्ड निम्नांकित रूप में गठित रहेगा ।

## 3–ट्रस्टीयों के नाम–

| क्रम संख्या | ट्रस्टीयों के नाम व पिता का नाम एवं पता | पदभार |
|---|---|---|
| 1. | जयप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 नन्हकू सिंह निवासी मौजा देईपुर, थाना जन्सा जिला वाराणसी | चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर/प्रधान ट्रस्टी |
| 2. | सुनैना देवी पत्नी जय प्रकाश सिंह निवासी मौजा देईपुर, थाना जन्सा जिला वाराणसी | ट्रस्टी/कोषाध्यक्ष |
| 3. | पंकज सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह निवासी मौजा देईपुर, थाना जन्सा जिला वाराणसी | ट्रस्टी |
| 4. | प्रदीप कुमार सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह निवासी मौजा देईपुर, थाना जन्सा जिला वाराणसी | ट्रस्टी |
| 5. | रंजना सिंह पत्नी पंकज सिंह निवासी मौजा देईपुर, थाना जन्सा जिला वाराणसी | ट्रस्टी |
| 6. | रविन्द्र नाथ सिंह पुत्र स्व0 कमला प्रसाद सिंह निवासी सन्त गोपाल नगर पटिया वाराणसी । | ट्रस्टी |

जयप्रकाशसिंह

2742

25.07.16

1001- जयप्रकाश सिंह S/O देईपुर, वाराणसी

अकाश केशरी

उ० काश केशरी स्टाम्प

उप निबन्धक कार्यालय

गंगापुर-वाराणसी

लाइसेन्स नं० 458 15/16

यास पत्र

| न्यास की राशि | फीस रजिस्ट्री | नकल व प्रति शुल्क | योग | पृष्ठों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 10,000.00 | 200.00 | 60 | 260.00 | 18 |

श्री जय प्रकाश सिंह

पुत्र श्री स्व0 नन्हकू सिंह

व्यवसाय शिक्षक

निवासी स्थायी देईपुर, परगना कसवार राजा, तह0 राजातालाब, वाराणसी

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 26/7/2016 समय 4:51PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सन्तोष कुमार यादव
उपनिबन्धक गंगापुर
वाराणसी
26/7/2016

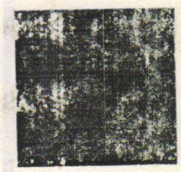

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री जय प्रकाश सिंह

पुत्र श्री स्व0 नन्हकू सिंह

पेशा शिक्षक

निवासी देईपुर, परगना कसवार राजा, तह0 राजातालाब, वाराणसी

ने निष्पादन स्वीकार किया

जिनकी पहचान राकेश कुमार सिह

जगदीश प्रसाद सिंह

पेशा वकालत

निवासी देईपुर, परगना कसवार राजा, तह0 राजातालाब,

व रविशंकर पुष्पराज

सुखदेव पुष्पराज

पेशा प्राईवेट नौकरी

निवासी भीमचण्डी, राजातालाब, वाराणसी

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सन्तोष कुमार यादव
उपनिबन्धक गंगापुर
वाराणसी
26/7/2016

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer VARANASI 15 JUL 2016 मुख्य कोषाधिकारी वाराणसी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 562358

3

| | | |
|---|---|---|
| 7. | **अवध बिहारी सिंह** पुत्र स्व0 मोती सिंह निवासी मौजा धरहरा, चन्दौली । | |

इस ट्रस्ट में ट्रस्टियों की संख्या अधिकतम सात होगी ट्रस्टीगण एवं प्रधान ट्रस्टी की सहमति से ट्रस्ट की सदस्य संख्या घटाई –बढ़ाई जा सकती है, यह उपरोक्त क्रम एक में लिखित चिफ मैनेजिंग ट्रस्टी एवं क्रम संख्या दो से सात में लिखित व्यक्ति ट्रस्टी कहलायेगे । किसी ट्रस्टी के देहावसान होने, त्यागपत्र देने, या किसी कारणवश बहुमत से हटाये जाने पर उक्त रिक्त स्थान की पूर्ति समान मत से की जायेगी । समान मत की स्थिति में प्रधान ट्रस्टी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा जो प्रस्ताव पारित कर आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा । ट्रस्टीगण समय समय पर पारस्परिक सहयोग से अपने गतिविधियों एवं कार्य व्यवस्थाओं का निर्धारण करते रहेंगे । प्रधान ट्रस्टी के मृत्यू के पश्चात अगले क्रम में जीवित ट्रस्टी प्रधान ट्रस्टी का स्थान ग्रहण करेगा ।

ट्रस्टीगण परिजनों से आत्मीय एवं भावनात्मक सम्बन्ध बनाये रखेंगे एवं परिजनों के मध्य विश्वास कायम रखेंगे । परिजनों के द्वारा दिये गये सुझाव एवं सलाहों को ट्रस्ट मीटिंग में चर्चा–विचारण हेतु रखेंगे एवं उपयुक्त होने पर सुझाओं को ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति हेतू लागू करेंगे ।

ट्रस्टियों ने स्वेच्छा से इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बनना स्वीकार किया है अतः ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों के सम्पादन एवं क्रियान्वयन हेतू पूर्ण रूप से जवाब देह होंगे ।

जयप्रकाश सिंह

2743
25.07.16

1001- जयप्रकाश सिंह स0 देईपुर वाराणसी

आकाश केशरी स्टाम्प विक्रेता
उप निवन्धक कार्यालय
गंगापुर-वाराणसी
लाइसेंस नं0-458 15/16

न्यासी

Registration No.: 30 Year : 2016 Book No. : 4

0101 जय प्रकाश सिह जयप्रकाश सिंह

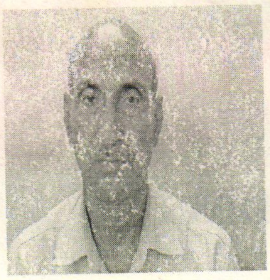

स्व0 नन्हकु सिह

देईपुर, परगना कस्वार राजा, तह0 राजातालाब, वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रू. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 562359



## ट्रस्ट के उद्देश्य

1) यह कि ट्रस्ट सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय, खेलकूद, उद्यमिता विकास, ज्ञान विज्ञान, धर्म, कला, संस्कृति से सम्बन्धित कार्य करेगा एवं करायेगा, तथा इस निमित्त केन्द्रो/संस्थाओं का संचालन एवं प्रबन्धन एवं सहयोग करेगा एवं करायेगा ।

2) यह कि ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतू आवश्यकता पडने पर बैंकों/वित्तीय संस्थानों के अलावा अन्य व्यक्तियों से भी ब्याज मुक्त ऋण ले सकेगा।

3) यह कि ट्रस्ट अपने कार्यक्रमों एंव उद्देश्य पूर्ति हेतू विभिन्न समितियों एवं उपसमितियों का निर्माण कर सकेगा जिसमे ट्रस्ट/ ट्रस्टियों के अतिरिक्त अन्य सक्रिय परिजनों का भी समावेश किया जायेगा। उन समितियों एवं उपसमितियों हेतु नियम, उपनियम ट्रस्ट के द्वारा ही निर्धारित किये जायेगे। जो समितियो/उपसमितियों हेतु पूर्णतः बाध्यकारी होगे। समितियों/उपसमितियों को भंग करने अथवा पूर्ण ग्रहित करने का अधिकार भी ट्रस्ट को ही होगा।

4) यह कि ट्रस्ट अपने समान उद्देश्यों वाले अन्य दूसरे ट्रस्टों अथवा संस्थाओं को आर्थिक सहयोग अनुदान के रूप मे दे व ले सकेगे।

5) यह कि ट्रस्टी अपने कार्यविधि संचालन हेतु आवश्यक नियम–उपनियम बनाता रहेगा तथा उसमे परिवर्तन भी करता रहेगा किन्तु ट्रस्ट के संस्थापक के उद्देश्यों, लक्ष्यों एंव भावनाओं का उल्लघन नही होना चाहिए।

6) यह कि ट्रस्टी बिना किसी जाति, लिंग, सम्प्रदाय भेद के सार्वजनिक हित में कार्य करेगा एवं पूर्णतया परमार्थ प्रकृति का कहलायेगा।

जयप्रकाश सिंह

2744
25.07.16

1001 - प्रथम-प्रकाश सिंह सा० देवपुर वाराणसी

आकाश केशरी
आकाश केशरी स्टाम्प विक्रेता
उप निबन्धक कार्यालय
गवाह
गंगापुर-वाराणसी
लाईसेन्स नं०-438 15/16

Registration No.: 30 Year : 2016 Book No. : 4

W1 राकेश कुमार सिंह Rakesh Kumar Singh

जगदीश प्रसाद सिंह

देईपुर, परगना कसवार सज्जा, तह0 राजातालाब, वाराणसी

वकालत

W2 रविशंकर पुष्पराज Ravishankar

सुखदेव पुष्पराज

भीरवण्डी, राजातालाब, वाराणसी

प्राईवेट नौकरी

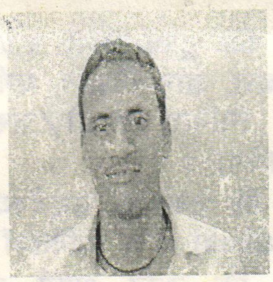

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer VARANASI 15 JUL 2016 मुख्य कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 562360



7) यह कि ट्रस्टी अपने कार्यक्रम एवं उद्देश्यो की पूर्ति हेतू शासन से भी अनुदान राशि एंव चल–अचल सम्पत्तियों को भी प्राप्त कर सकेगा।

8) यह कि ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा चल–अचल सम्पत्ति अनुदान, दान के रूप में ले सकती है या क्रय कर सकती है तथा किसी भी प्रकार से प्राप्त चल–अचल सम्पत्ति जो ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर हो का विक्रय अथवा हस्तान्तरण कर सकेगी।

**बैंक खातो की संचालनः**

ट्रस्ट के खाते ट्रस्ट के नाम पर ही किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा वाणिज्य बैंक में खोला जायेगा। इसका संचालन चीफ मैनेजिंग ट्रस्टी/कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

**ट्रस्ट की कानून सम्बन्धित व्यवस्थाः**

ट्रस्टी अपने को राज्य में लागू सार्वजनिक न्याय अधिनियम एंव विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत जैसे–आयकर विभाग एवं अन्य सरकारी विभागों में आवश्यक्तानुसार पंजीकृत करायेगा तथा आयकर आदि सभी रिटर्न समय–समय पर दाखिल करेगा। लागू होने वाले अन्य सरकारी कानूनी औपचारिकता का पालन करता रहेगा। इसके निमित ट्रस्ट समय–समय पर कानूनविदों की सलाह एवं मार्गदर्शन भी ले सकेगा। ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली स्थायी सम्पत्तियों जैसे– जमीन, मकान इत्यादि की रजिस्ट्री भी रजिस्ट्रार कार्यालय में अनिवार्य रूप से करायी जायेगी।

2745
25.07.16

Chief Treasury Officer
VARANASI

1001 — जयप्रकाश सिंह सा० देईपुर वाराणसी

आकाश केशरी
आकाश केशरी स्टाम्प विक्रेता
उप निबन्धक कार्यालय
गंगापुर-वाराणसी
लाईसेन्स नं०-458 15/16

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer VARANASI 15 JUL 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 562361



चीफ मैनेजिंग डाइरेक्टर/प्रधान ट्रस्टी ट्रस्ट की सभी मीटिंग का अध्यक्ष होगा, उसकी अनुपस्थिति में सहायक प्रबंधक ट्रस्टी ट्रस्ट की मीटिंग का अध्यक्ष होगा। दोनो की अनुपस्थितियों में उपस्थित ट्रस्टीगण अपने मे से किसी एक को सर्वसम्मति या बहुमत से उस मीटिंग के लिए अध्यक्ष चुन लेंगे। किसी भी मीटिंग में मत विभाजन की स्थिति में किसी प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष के बराबर मत होते है तो मीटिंग के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का हक होगा। ट्रस्ट की मीटिंग में पारित प्रस्ताव एंव निर्णयों को कार्यवाही रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। मीटिंग में लिये गये निर्णय पर ट्रस्टीगण सामूहिक एंव व्यक्तिगत रूप से क्रियान्वयन हेतू सदैव प्रयासरत रहेंगे।

**विशेष ज्ञातव्यः**

1. यह कि ट्रस्ट शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हेतू विद्यालय एंव शिक्षण संस्थानों की स्थापना करेगा। ट्रस्ट सभी प्रकार की शिक्षण–प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन जनहित में करेगा। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की सरकारी एंव गैर–सरकारी सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
2. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ट्रस्ट डीड के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी कार्य करने एवं निर्णय लेने तथा आवश्यक होने पर डीड के प्रावधानों में परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रधान ट्रस्टी का रहेगा।
3. यह कि कोई भी सरकारी टैक्स, बिजली, पानी न्यायालयों वाद व्यय इत्यादि ट्रस्ट के द्वारा नियमित तौर पर देय होगा।

2746
25.07.16

1001- जयप्रकाश सिंह सा०-देवपुर वाराणसी

आकाश केशरी
आकाश केशरी स्टाम्प विक्रेता
उप निबन्धक कार्यालय
गंगापुर-वाराणसी
लाईसेन्स नं०-458 15/16

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये रु.50
FIFTY RUPEES Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 886533



**विलयन/विघटनः**

आवश्यक होने पर इस ट्रस्ट का विलय समान उद्देश्य वाले किसी अन्य ट्रस्ट में अथवा समान उद्देश्य वाले किसी अन्य ट्रस्ट का विलय इस समान उद्देश्य वाले किसी अन्य ट्रस्ट में औपचारिक्ता पूर्ण कर किया जा सकेगा। विलय की स्थिति में विलीन होने वाले समान उद्देश्य वाले किसी अन्य ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्ति विलायक ट्रस्ट की हो जायेगी एंव दस्तावेजो, अभिलेखो में आवश्यक परिवर्तन–परिवर्द्धन विलयन समान उद्देश्य वाले किसी अन्य ट्रस्ट के पक्ष में करा लिये जायेगे।

**सदस्यों के प्रकारः**

ट्रस्ट के ट्रस्टी/सदस्य दो प्रकार के होगेः–

1. आजीवन सदस्य 2. सामान्य सदस्य।

1) आजीवन सदस्यः– यह सदस्य बनने के लिए ट्रस्ट को रू0 5,000/–सदस्यता शुल्क अदा करना होगा। मुख्य प्रबन्धक ट्रस्टी के द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद वह सदस्य हो सकेगा। यदि मुख्य प्रबन्धक ट्रस्टी ने अस्वीकृत कर दिया तो उसे सदस्यता प्रदान नही की जा सकेगी। अन्तिम निर्णय मुख्य प्रबन्धक ट्रस्टी का ही रहेगा। सभी ट्रस्टियों ने अपनी–अपनी राशि देने की सहमति दे दी है।

2) सामान्य सदस्यः– यह सदस्य बनने के लिए ट्रस्ट को रू0 1,000/–सदस्यता शुल्क अदा करना होगा। मुख्य प्रबन्धक ट्रस्टी के द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद वह सदस्य हो सकेगा। परन्तु उसको ट्रस्ट कार्यो में कोई भी सहभाग करने का अधिकार नही रहेगा।

2747
25.07.16

501- जयप्रकाश सिंह सा० केंयुर वाराणसी

आकाश केशरी
आकाश केशरी स्टाम्प विक्रेता
उप निबन्धक कार्यालय
गंगापुर-वाराणसी
लाईसेन्स नं०-458 15/16

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BF 886534



**दानः–**

ट्रस्ट की अनुमति देने के बाद, ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति या संस्था या विदेशी संस्था से इस ट्रस्ट के सामाजिक कार्यो के लिए दान स्वीकार कर सकती है।

**आर्थिक वर्षः–**

ट्रस्ट का हिसाब– किताब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा और उसका ऑडिट कराना ट्रस्ट को आवश्यक होगा।

कर्मचारी नियुक्तिः–

चीफ मैनेजिंग डाईरेक्टर को ट्रस्ट के कार्य हेतू कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार होगा और उसे निकालने का भी अधिकार रहेगा।

**विवादों का निपटाराः**

इस ट्रस्ट डिड मे वर्णित धाराओं के इण्टरप्रिटेशन मे या ट्रस्ट की गतिविधियों में विवाद उत्पन्न होने पर विवाद का निपटारा ट्रस्टीगण द्वारा नियुक्त पंचों द्वारा ही किया जायेगा जिनका फैसला ट्रस्ट को मान्य व बाध्यकारी होगा। पंचों का नाम अन्तिम रूप से प्रधान ट्रस्टी द्वारा मान्य करने पर ही उन्हें नियुक्त किया जावेगा।

मुख्य प्रबन्धक/संस्थापक ट्रस्टी की घोषणाः–

मै, जय प्रकाश सिंह, संस्थापक ट्रस्टी/चीफ मैनेजिंग डाइरेक्टर एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैने उपरोक्त ट्रस्ट की स्थापना, गठन एवं निर्माण बिना किसी अनुचित बाह्य दबाव के स्वस्थ मनः स्थिति के आज दिनांक 26.07.2016 ई0 को किया है, जो लिखित रूप से उपरोक्तानुसार है।

जयप्रकाश सिंह

2748
25.07.16

501- जयप्रकाश सिंह ग्राम देईपुर वाराणसी

आकाश केशरी
आकाश केशरी स्टाम्प विक्रेता
उप निबन्धक कार्यालय
गंगापुर-वाराणसी
लाईसेन्स नं०-458 15/16

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 886536

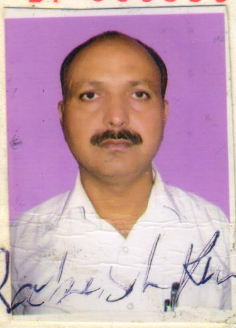

साक्षी–1.पूरा नाम राकेश कुमार सिंह

पिता का नाम श्री जगदीश प्रसाद सिंह

पूरा पता ग्राम देईपुर, परगना कसवार राजा, तहसील राजातालाब वाराणसी

हस्ताक्षर Rakesh Kumar Singh

साक्षी–2.पूरा नाम रविशंकर पुष्पराज

पिता का नाम श्री सुखदेव पुष्पराज

पूरा पता भीमचण्डी, राजातालाब, जिला वाराणसी

हस्ताक्षर Ravishankar Pushpraj

तहरीर दिनांक 26.07.2016 ई0

प्रारूपकर्ताः– संजय कुमार सिंह, एडवोकेट दीवानी कचहरी वाराणसी। Sanjay Kumar Singh Adv

टाइपकर्ता – किशन डिजिटल वर्ल्ड गंगापुर वाराणसी

जयप्रकाश सिंह

2749
25.07.16

501 - जयप्रकाश सिंह सा० देवपुर वाराणसी

आकाश केशरी
आकाश केशरी स्टाम्प विक्रेता
उप निबन्धक कार्यालय
गंगापुर-वाराणसी
लाईसेन्स नं०-458 15/16

आज दिनांक 26/07/2016 को

बही सं. 4 जिल्द सं. 14

पृष्ठ सं. 323 से 340 पर क्रमांक 30

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सन्तोष कुमार यादव
उपनिबन्धक गंगापुर
वाराणसी
26/7/2016